# राजस्थान सरकार
## नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.12(06)नविवि/मेवानगर(बालोतरा)/2026 जयपुर, दिनांकः—यथा हस्ताक्षरित

## अधिसूचना

राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 (राजस्थान अधिनियम सं. 35 सन् 1959) की धारा 32 उपधारा (1) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, एतद्द्वारा घोषित करती है कि नगर विकास न्यास, बालोतरा द्वारा राजस्व ग्राम मेवानगर के खसरा नं. 847/260 रकबा 22.8971 हैक्टेयर में से 15.2312 हैक्टेयर में श्री नाकोड़ा धाम फार्म हाऊस बहुउद्देशीय योजना बनाने का विनिश्चय किया है। इस योजना की सीमायें निम्नानुसार है :—

उत्तरः— खसरा नं. 847/260 का अवशेष भाग, खसरा नं. 1653/1524 व 849/260
दक्षिणः— खसरा संख्या 850/260, 1645/260 व 711/214
पूर्वः— खसरा संख्या 1444/261 व 1445/261
पश्चिमः— खसरा संख्या 1653/1524

उक्त योजना का विवरण एवं नक्शा नगर विकास न्यास, बालोतरा के कार्यालय में उपलब्ध है तथा किसी भी कार्य दिवस में सांयकाल 3:00 बजे से 5:00 बजे तक देखा जा सकता है।

उक्त अधिसूचना राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन तिथि से 6 माह तक प्रभावशाली रहेगी।

**राज्यपाल की आज्ञा से,**

**(रवि विजय)**
**शासन उप सचिव—प्रथम**

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—**

1. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, बालोतरा।
5. आयुक्त, नगर परिषद्, बालोतरा।
6. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, बालोतरा।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक, जोधपुर जोन, जोधपुर।
9. सहायक निदेशक, नगरीय विकास विभाग को अधिसूचना राजस्थान राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु ऑनलाईन भिजवाने जाने हेतु।
10. प्रोग्रामर, नविवि को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

**शासन उप सचिव—प्रथम**

Signature Not Verified
Digitally Signed by Ravi Vijay
Designation : Deputy Secretary To Government
Date :15-06-2026 03:42:04

RajKaj Ref No.: 22834865